# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,रायपुर जिला भीलवाड़ा

**पीठासीन अधिकारीः—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.**

मुकदमा नम्बरः— 83/2010 (2010/00007) वाद पत्र

**अनवान**

1. मांगी पुत्री मियाराम कुमावत निवासी रायपुर हाल निवासी चान्दरास तह0 माण्डल
2. सुरेश आत्मज टीला कुमावत निवासी धुलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. भुरा आत्मज टीला कुमावत निवासी धुलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. प्यारी पुत्री टीला पत्नि भंवरलाल कुमावत निवासी पाटियाखेड़ा तहसील रायपुर
5. रोषी पुत्री टीला पत्नि शंकर कुमावत हाल निवासी चावण्डिया तहसील सहाड़ा

**वादीगण**

**बनाम**

1. माधु आत्मज मोडा कुमावत निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. नैनुराम आत्मज मोडा कुमावत निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

**प्रतिवादीगण**

**दावा बाबत अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 188 आर०टी०एक्ट**

उपस्थित

1.—हरिश टेलर — अधिवक्ता वादीगण

2.—जाकिर हुसैन — अधिवक्ता प्रतिवादीगण

**निर्णय** — दिनांक 13.02.2020

उक्त प्रकरण का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम ढिकाणी तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के सामलाती खातेदारी अधिकार की खाता संख्या 116 आराजी संख्या 626 रकबा 2.86 है0 भूमि स्थित है। उक्त आराजियात में वादीगण का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण का संयुक्त रूप से 1/2 है और प्रत्येक हिस्सेदार अपने अपने अनुसार भु भाग पर मौके पर काबिज है। उक्त आराजियात का बाई मीट्स एण्ड बोड्स के आधार पर विभाजन नही होने एवं सयुक्त राजस्व खाता होने से वादी को अपने हिस्से की भूमि को उपजाउ बनाने जिससे वादीगण को लगान जमा कराने, ऋण आदि की सुविधा प्राप्त करने में भारी अड़चन पैदा रहती है। जिससे वादीगण को राजस्व रेकार्ड में में दर्ज अपने हिस्से का बाई मिट्स एण्ड बोड्स के आधार पर विभाजन करवाया जाना आवश्यक हो गया है।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 23.06.2010 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 02 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब में कथन किया कि वाद पत्र की कॉलम 1 में वर्णित आराजी नम्बर 626 रकबा 2.86 है0 भूमि में वादी को कोई हक हिस्सा नही है वादीगण द्वारा उस खाते अपना नाम गलत

दर्ज करवाया गया है वादिया संख्या 1 के पिता एवं वादी 2 से 5 के नाना मियाराम ने उक्त आराजी के साबिक आराजी नम्बर 319 मीन रकबा 25 बिघा 15 बिस्वा मे अपना 1/2 हिस्सा दिनांक 29.10.1964 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के नाथु तलोक पिता जीतु कुमावत को विक्रय कर दी है तथा शेष भूमि में केवल प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता मोडा का ही हिस्सा शेष रहा था मियाराम द्वारा साबिक आराजी संख्या 319मीन मे से अपना 1/2 हिस्सा विक्रय करने के बाद नामान्तरणकरण संख्या 75 जो खोला गया उसमें मियाराम का हिस्सा विक्रय होने के बाद भी उसका नाम नही हटाकर गलत तरीके से नामान्तरणकरण फेसल किया गया जो विधि विरूद्व है वादग्रस्त आराजियात में वादीगण का कोई हिस्सा व कब्जा नही होकर प्रतिवादी 1 व 2 का ही है। वादीगण के पिता व नाना मियाराम का नाम गलत रूप से राजस्व रेकार्ड में दर्ज होकर चला रहा है जिससे वादीगण किसी प्रकार का विभाजन कराने का अधिकारी नही है इसी के साथ विपक्षी द्वारा काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन किया कि वादी 1 के पिता व 2 से 5 के नाना मियाराम तथा प्रतिवादी के पिता मोडा पिता कालु जी कुमावत संवत 2021 से 2024 की जमाबन्दी मियाराम व मोडा का 1/2 ,1/2 हिस्सा था दोनो भाईयो के मध्य बंटवाड़ा होकर दोनो भाई अपने अपने हिस्से पर काबिज हो काश्त करते चले आ रहे परन्तु खाता सामलाती चला आ रहा था मियाराम ने अपना हिस्सा रजिस्डर्ड विक्रय पत्र से नाथु, तलोक आत्मज जीतु कुमावत को विक्रय कर निम्न पड़ोस की भूमि 12 बिघा 10 बिस्वा जिसके पूर्व में केता की भूमि पश्चिम में मोडा की पाति की भूमि उत्तर में ख्यालीलाल की भूमि दक्षिण में छोगा, कस्तुर की मण्डोल की सीमा को विकेता को सोपकर कब्जा करा दिया ओर भूमि केता के नाम दर्ज हो गई नामान्तरणकरण संख्या 75 दिनांक 06.05.1966 को फेसल किया गया जो विक्रय पत्र के मुकाबले नही होकर गलत रूप से मोडा मियाराम कालु कुमावत का 1/2 हिस्सा कम कर दिया जबकि विक्रय पत्र में स्पष्ट रूप से अपने हिस्से को ही विक्रय किया गया मियाराम का कोई हिस्सा शेष नही रहता साबिक आराजी नम्बर 319/1 रकबा 13 बिघा 5 बिस्वा के नवीन खसरा नम्बर 626 रकबा 2.86 है0 दर्ज हो गया मिलान क्षेत्रफल व वर्तमान जमाबन्दी पेश है अतः काउन्टर क्लेम स्वीकार कर वादी का वाद खारीज फरमाया जाकर बहक प्रतिवादी 1 व 2 विरूद्व वादीगण इस आशय की घोषणात्मक डिक्री फरमाई जाये कि वादग्रस्त आराजी के प्रतिवादी संख्या 1 व 2 खातेदार काश्तकार है तथा वादीगण का कोई हक हिस्सा नही होने से रेकार्ड से नाम हटाया जावें ओर प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दंखलदाजी न तो स्वयं करे ओर न अन्य से करावें।

प्रकरण मे तनकियात कायम की गई जो निम्नानुसार है–

1. आया वाद वादग्रस्त आराजियात में वादीगण का 1/2 हिस्सा है तदनुसार वादीगण 1/2 हिस्से की विभाजन की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है – वादी
2. आया वाद वादग्रस्त आराजी संख्या 626 जिसके साबिक नम्बर 319मीन है में वादीगण के पिता ओर नाना मियाराम द्वारा अपना 1/2 हिस्सा रजिस्डर्ड विक्रयपत्र के जरिये 29.10.1964 को विक्रय कर देने से वादीगण का कोई हक हिस्सा शेष नही रहा – प्रतिवादी
3. आया नामान्तरणकरण संख्या 75 दिनांक 06.05.66 विक्रय पत्र के मुकाबले फेसल नही होने से विधि विरूद्व होकर खारीज होने योग्य है। – प्रतिवादी

4. आया वाद वादग्रस्त आराजियात तन्हा प्रतिवादीगण के स्वामित्व व आधिपत्य की होने से प्रतिवादीगण सम्पूर्ण भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित होने के अधिकारी है – प्रतिवादी
5. आया प्रतिवादी वादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है प्रतिवादी

1. आया वाद वादग्रस्त आराजियात में वादीगण का 1/2 हिस्सा है तदनुसार वादीगण 1/2 हिस्से की विभाजन की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है

इस तनकी के तहत् वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि जमाबन्दी की नकल 2064 से 2067 की पेश की जो पदर्श 1 है ओर नक्क्षा ट्रेस की प्रति पेश की जो पदर्श 2 है ओर मु0 मांगी बाई का शपथ पत्र पेश किया ओर बयान कराये मांगी ने अपने बयान में कहा कि मेरे पिताजी के दो भाई थे मियाराम ओर मोडा दानो भाईयो के शामिल खाते में 24 बिघा जमीन थी ओर दोनो के आधी आधी थी मेरे पिता मियाराम ने अपना हिस्सा नाथु तलोक डालु पिता जीतु कुमावत को विक्रय कर दी मेरे पिता द्वारा विक्रय किये गये रकबे में मेरा कोई हक हिस्सा शेष नही रहा बाकी जमीन मोडा के हिस्से की है जिस पर उनके वारीसान का ही कब्जा है हमारा नही। उपरोक्त विवरण के अनुसार वादी वादग्रस्त आराजियात में अपना 1/2 हिस्सा साबिक कराने में असफल रहा जिसके आधार पर इस तनकी का निर्णय विरूद्व वादी बहक प्रतिवादी किया जाता है।

2. आया वाद वादग्रस्त आराजी संख्या 626 जिसके साबिक नम्बर 319मीन है में वादीगण के पिता ओर नाना मियाराम द्वारा अपना 1/2 हिस्सा रजिस्डर्ड विक्रयपत्र के जरिये 29.10.1964 को विक्रय कर देने से वादीगण का कोई हक हिस्सा शेष नही रहा।

इस तनकी का भार प्रतिवादी के उपर था प्रतिवादी के द्वारा इसके सम्बन्ध में जमाबन्दी संवत 2021 से 2024 के खाता नम्बर 42 की प्रमाणित प्रति पेश की जिसमें साबिक आराजी नम्बर 319 रकबा 25 बीघा 15 बिस्वा भूमि मोडा मियाराम पिता कालु कुमावत के नाम दर्ज है जो प्रदर्श डी 1 है। विक्रय पत्र दिंनाक 29.10.64 की प्रति पेश की गई जो प्रदर्श डी 2 है। खाता संख्या 54 की जमाबन्दी 2025 से 2028 की प्रति पेश की गई जिसमे आराजी नम्बर 319/2 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि नाथु, तलोक डालु पिता जीतु कुमावत के नाम दर्ज है जो प्रदर्श डी 3 है। जमाबन्दी 2029 से 2032 की प्रति पेश की जो मोडा मियाराम पिता कालु कुमावत के नाम आराजी नम्बर 319 रकबा 13 बीघा 5 बिस्वा भूमि दर्ज रेकार्ड है जो पदर्श डी 4 है। नामान्तरणकरण संख्या 75 की प्रमाणित प्रति पेश की गई जिसके कॉलम 5 में मोडा मियाराम पिता कालु कुमावत का नाम दर्ज होकर इसके नाम सामलाती में आराजी नम्बर 319 रकबा 25 बीघा 15 बिस्वा भूमि दर्ज है इसी नामान्तरणकरण के कॉलम 11 में नाथु तिलोक डालु पिता जीतु कुमावत के नाम आराजी नम्बर 319/2 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि विक्रय पत्र दिनांक 29.10.64 के आधार पर नामान्तरणकरण स्वीकृत हुआ जो पदर्श डी 5 है। जमाबन्दी संवत 2064 से 2067 की खाता संख्या 116 की नकल पेश की जो प्रदर्श डी 6 है। मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रति पेश की जो पदर्श डी 7 है इस मिलान क्षेत्रफल के अनुसार साबिक आराजी नम्बर 319/1 रकबा 13 बीघा 5 बिस्वा भूमि के नवीन खसरा नम्बर 626 रकबा 2.86 है0 दर्ज हुए है। ओर इसके साथ साथ माधु पिता मोडा कुमावत के बयान कराये

गये जिसमें बताया कि इस खाते के अलावा 2 खाते ओर है जिसमें नाम दर्ज है हमारे अनबन हो गई थी इसलिये बंटवाड़े का दावा किया यह बात सही के कि हम बंटवाड़ा नही चाहते है। कानुन की तरफ से जमीन हमारे कब्जे है वो मेरी है उनकी जमीन बेच दी है जिसको करीब 50 वर्ष हो गये यह बात गलत है कि जमीन मियाराम मोडा दोनो ने बेची हो। वादग्रस्त जमीन वादीगण का नाम नही है ओ उन्होने उनकी जमीन बेच दी। जो जमीन मियाराम ने बेची वो खरीददारो के नाम चली गई शपथ पत्र में जो लिखा वो मेरी जानकारी में है राजस्व रेकार्ड जो नाम दर्ज है वो गलत है। उपरोक्त विवरण अनुसार उक्त तनकी का निर्णय बहक प्रतिवादी विरूद्व वादी किया जाता है।

3. आया नामान्तरणकरण संख्या 75 दिनांक 06.05.66 विक्रय पत्र के मुकाबले फेसल नही होने से विधि विरूद्व होकर खारीज होने योग्य है।

इस तनकी का भार प्रतिवादी का था नामान्तरकरण संख्या 75 दिनांक 06.05.66 एवं विक्रय पत्र दिनांक 29.10.64 की प्रति पेश की गई जिसका अवलोकन किया गया तो पाया कि विक्रय पत्र मियाराम पिता कालु कुमावत के द्वारा श्री नाथु तलोक डालु पिता जीतु कुमावत के पक्ष में निष्पादित किया गया है इस विक्रय पत्र के अनुसार मियाराम ने 25 बीघा 15 बिस्वा भूमि मे से आधा भाग का रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि विक्रय किया जाने का अंकन है ओर इस विक्रय पत्र के अनुसार नामान्तरणकरण दर्ज किया गया था किन्तु सरपंच ग्राम पंचायत पीथाकाखेड़ा के द्वारा नामान्तरणकरण निर्णय के दौरान अपने फेसले में मियाराम के बजाय मोडा मियाराम के नाम से खारीज होकर खरीददार नाथु डालु तलोक के नाम दर्ज करने का आदेश दिया जो विक्रय पत्र के मुकाबले गलत है इसमें मियाराम का हिस्सा ही विक्रय हुआ है। इस नामान्तरण का निर्णय विधि विरूद्व पाया गया उपरोक्त विवरण के अनुसार इस तनकी को साबित कराने में प्रतिवादी सफल रहा इस तनकी का निर्णय बहक प्रतिवादी विरूद्व वादी किया जाता है।

4. आया वाद वादग्रस्त आराजियात तन्हा प्रतिवादीगण के स्वामित्व व आधिपत्य की होने से प्रतिवादीगण सम्पूर्ण भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित होने के अधिकारी है।

इस तनकी को साबित कराने का भार प्रतिवादी पर था प्रतिवादी के द्वारा इसके सम्बन्ध में माधु पिता मोडा सुवालाल पिता किशोर एवं डालु पिता घीसु कुमावत के बयान कराये गये जिसके अनुसार कब्जा प्रतिवादीगणो का है इसी के साथ जमाबन्दी संवत 2025 से 2028 की प्रमाणित प्रति पेश की गई जिसमें मियाराम के द्वारा विक्रय की गई भूमि केता के नाम आराजी नम्बर 319/2 दर्ज है जिसके अनुसार भी प्रतिवादी इस तनकी साबित कराने सफल रहा इस तनकी के आधार पर प्रतिवादी खातेदार काश्तकार है इस तनकी का निर्णय बहक प्रतिवादी विरूद्व वादी किया जाता है।

5. आया प्रतिवादी वादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है।

इस तनकी को साबिक कराने का भार प्रतिवादी पर था इस तनकी सम्बन्ध तनकी संख्या 2, तनकी संख्या 3, तनकी संख्या 4 से सम्बधित है जब तनकी संख्या 2, 3, एवं 4 को प्रतिवादी साबित कराने में सफल रहा जिसके आधार पर उक्त तनकीयों का निर्णय बहक प्रतिवादी विरूद्व वादी हो चुका है उनके अनुसार इस तनकी का निर्णय भी बहक प्रतिवादी

विरूद्व वादी किया जाता है इस तनकी के आधार पर प्रतिवादीगण वादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है।

6. अनुतोष–

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादी एवं प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तुत रेकार्ड पर मनन किया तो पाया कि वादीगण अपने वाद को सिद्व कराने में असफल रहा वादीगणो के पिता एवं नाना मियाराम के द्वारा अपने हक की भूमि जरिये रजिस्डर्ड दस्तावेज दिनांक 29.10.1964 को विक्रय की जा चुकी है ओर विक्रय पत्र के अनुसार क्रेता के नाम जरिये नामान्तरणकरण संख्या 75 के भूमि दर्ज हो चुकी है नामान्तरणकरण के निर्णय में सरपंच ग्राम पंचायत पीथाकाखेड़ा के द्वारा खातेदार मियाराम के बजाय मोडा मियाराम दोनो का नाम दर्ज कर देने से आगामी रोटेशन जमाबन्दी मे भी मियाराम का नाम पुनः दर्ज हो गया जबकि मियाराम अपना हिस्सा विक्रय कर चुका था ऐसी स्थिति में मात्र लिपिकीय त्रुटी के आधार पर मियाराम का नाम रेकार्ड में चला आ रहा है लिपिकीय त्रुटी का लाभ मियाराम के वारीसान नही ले सकते है ऐसी स्थिति में वादी का वाद अस्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। इसके विरूद्व प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम के आधार पर कायम तनकियात को साबित कराने मे सफल रहे जिसके आधार पर काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाना उचित है।

## आदेश

अतः ग्राम ढिकाणी तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादीगण एवं प्रतिवागण संख्या 1 व 2 के सामलाती खातेदारी अधिकार की खाता संख्या 116 आराजी संख्या 626 रकबा 2.86 है0 भूमि के सम्बन्ध में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अस्वीकार कर विपक्षी द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम को स्वीकार करते हुए वाद विरूद्व वादी बहक प्रतिवादी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है साथ ही वादीगणो का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाया जाने का आदेश दिया जाता है। वादीगणों के विरूद्व इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वादग्रस्त आराजियात खाता संख्या 116 आराजी संख्या 626 रकबा 2.86 है0 भूमि में प्रतिवादीगणों के कब्जे काश्त किसी प्रकार का दखलदांजी न तो स्वय करे न अन्य से करावे इसी अनुसार डिक्री जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखा जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे। पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 13.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13.2.2020

सुन्दरलाल बम्बोडा
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाडा

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 रूल्य 6–7 जाब्ता दिवानी)

## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,रायपुर जिला भीलवाड़ा

**पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.**

मुकदमा नम्बरः– 83/2010 (2010/00007) वाद पत्र

**अनवान**

1. मांगी पुत्री मियाराम कुमावत निवासी रायपुर हाल निवासी चान्दरास तह0 माण्डल
2. सुरेश आत्मज टीला कुमावत निवासी धुलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. भुरा आत्मज टीला कुमावत निवासी धुलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. प्यारी पुत्री टीला पत्नि भंवरलाल कुमावत निवासी पाटियाखेड़ा तहसील रायपुर
5. रोषी पुत्री टीला पत्नि शंकर कुमावत हाल निवासी चावण्डिया तहसील सहाड़ा

**वादीगण**

**बनाम**

1. माधु आत्मज मोडा कुमावत निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. नैनुराम आत्मज मोडा कुमावत निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

**प्रतिवादीगण**

**दावा बाबत अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 188 आर०टी०एक्ट**

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वाद वादी स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार रायपुर को आदेशित किया जाता है कि अतः ग्राम ढिकाणी तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादीगण एवं प्रतिवागण संख्या 1 व 2 के सामलाती खातेदारी अधिकार की खाता संख्या 116 आराजी संख्या 626 रकबा 2.86 है0 भूमि के सम्बन्ध में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अस्वीकार कर विपक्षी द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम को स्वीकार करते हुए वाद विरूद्व वादी बहक प्रतिवादी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है साथ ही वादीगणो का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाया जाने का आदेश दिया जाता है। वादीगणों के विरूद्व इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वादग्रस्त आराजियात खाता संख्या 116 आराजी संख्या 626 रकबा 2.86 है0 भूमि में प्रतिवादीगणों के कब्जे काश्त किसी प्रकार का दखलदांजी न तो स्वय करे न अन्य से करावे इसी अनुसार डिक्री जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखा जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे। पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आज तारीख 13/02/2020 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

13.2.2020

सुन्दरलाल बम्बोडा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)

रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.02.25 16:43:51 IST
Reason: SelfAttested
Location: